न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, (आई.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः—33/2019 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा हनुमानगढ टाउन, जरिये मुख्य प्रबन्धक संजय गर्ग पुत्र श्री रमेश चन्द्र गर्ग जाति अग्रवाल निवासी राम सिंह कॉलोनी, हनुमानगढ टाऊन।

———प्रार्थी

बनाम

1. मै0 पशुपति रियल ट्रेड प्रा.लि.क.पंजीकृत कार्यालय बी—34, द्वितीय मंजिल, रोड़ नम्बर 01 डी, राईस हाऊसिंग कॉलोनी जयपुर तहसील व जिला जयपुर(राज.) जरिये निदेशक श्री सन्दीप गट्टाणी एवं श्री सुनील गट्टाणी।

———ऋणी

2. श्री भंवरलाल पुत्र श्री सन्तलाल निवासी वार्ड नम्बर 16 नजदीक गोगामेडी, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. श्री गोविन्द राम
4. श्री राजकुमार
5. श्री भगवानाराम

} पुत्रगण श्री सन्तलाल निवासी वार्ड नम्बर 9 कासनियॉ की गली, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

6. श्री सन्दीप गट्टाणी
7. श्री सुनील गट्टाणी

} पुत्रगण श्री राधेश्याम जाति माहेश्वरी निवासी बी—09, औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

———जमानती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यारिटि इन्टरेस्ट एक्ट, 2002(जिसे आगे एक्ट से संबोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के संबंध में।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

आदेश

दिनांकः—27.01.2020

प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा, हनुमानगढ टाऊन जिला हनुमानगढ़ की ओर से श्री श्री आर. पी. सिंह वकील उपस्थित आये तथा श्री नितिन छाबड़ा वकील ऋणी की ओर से उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को 2,95,00,000/—रूपये (अखरे दो करोड़ पिचानवें लाख रूपये) की ऋण सुविधाये उपलब्ध करवाई थी। ऋणी व जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे बैंक को गारन्टी के रूप में सम्पत्ति संख्या 1. औद्योगिक भूमि साईज 0.885 हैक्टर, जो खाता संख्या 137/127 खसरा नम्बर 96/01, ग्राम धुधली (पल्लू) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में पशुपति रियल ट्रैड प्रा.लि.क. के नाम से दर्ज है। 2. औद्योगिक

भूमि साईज 4.805 हैक्टर, जो खाता संख्या 14/49 खसरा नम्बर 147/01, ग्राम धुधली (पल्लू) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में पशुपति रियल ट्रैड प्रा.लि.क. के नाम से दर्ज है। 3. रिहायशी भूखण्ड साईज 520 वर्गमीटर जो चक 18 डी डब्ल्यू डी के पत्थर नम्बर 164/415(23) किला नम्बर 6/0.217, 7/0.127, 14/0.026, 15/0.046 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में श्री गोविन्द राम पुत्र सन्तलाल के नाम से दर्ज है। 4. रिहायशी भूखण्ड साईज 520 वर्गमीटर जो चक 18 डी डब्ल्यू डी के पत्थर नम्बर 164/415(23) किला नम्बर 6/0.217, 7/0.127, 14/0.026, 15/0.046 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में श्री भगवाना राम पुत्र सन्तलाल के नाम से दर्ज है। 5. रिहायशी भूखण्ड साईज 520 वर्गमीटर जो चक 18 डी डब्ल्यू डी के पत्थर नम्बर 164/415(23) किला नम्बर 6/0.217, 7/0.127, 14/0.026, 15/0.046 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में श्री राजकुमार पुत्र सन्तलाल के नाम से दर्ज है। 6. रिहायशी भूखण्ड साईज 520 वर्गमीटर जो चक 18 डी डब्ल्यू डी के पत्थर नम्बर 164/415(23) किला नम्बर 6/0.217, 7/0.127, 14/0.026, 15/0.046 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख मे श्री भंवरलाल पुत्र सन्तलाल के नाम से दर्ज है जिसरो संबंधित समस्त दस्तावेज विधिनुसार ऋणी व जमानतदार(1 ता 7) द्वारा सम्पतियो को बैंक के पास रहन किया गया था। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण नियमानुसार नही चुकाने के कारण ऋणी का खाता दिनाक 18.04.2019 को एनपीए कर दिया।

ऋणी का ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ बडोदा द्वारा ऋणी एव जमानतदारो को दिनाक 27.05.2019 को बकाया ऋण राशि चुकाने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये जिसकी जानकारी ऋणी व जमानतदारो को हो चुकी है लेकिन ऋणी व जमानतदारो ने नियत अवधि मे उक्त नोटिस मे वर्णित बकाया राशि पर किसी कदर कोई आपत्ति नही की है। ऋणी द्वारा नियत अवधि के पश्चात उक्त एक्ट की धारा 13(3ए) के तहत आपत्ति दर्ज करवाई जिसे बाद जांच ऋणी द्वारा की गई आपत्तिया कतई गलत व असत्य होने से अस्वीकृत करते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियत समयावधि मे दिनाक 09.08.2019 को जवाब जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया।

ऋणी व जमानतदारो को एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर 1,32,39,119.08 -रूपये ऋण राशि दिनाक 26.05.2019 तक एव खर्चे तथा आगे का ब्याज जमा कराना था। ऋणी एव जमानतदार द्वारा ऋण की राशि बैंक को जमा नही करवाई जिस पर प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(4) के अनुक्रम मे बन्धकित सम्पत्ति का कब्जा व अन्तरण अधिकार सहित का नोटिस दिनाक 30.07.2019 को जारी किया गया जो नोटिस ऋणी व जमानतदारो के निवास स्थान के क्षेत्र मे प्रसारित होने वाले दैनिक अखबार 'दैनिक भास्कर' व अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' मे 04.08.2019 को प्रकाशन करवाया गया। उक्त नोटिस की जानकारी ऋणी व जमानतदार को हो चुकी है।

ऋणी व जमानतदारो द्वारा नोटिस के पश्चात भी ऋण मय ब्याज व खर्चे बैंक मे जमा नही करवाये गये। इसलिए बैंक द्वारा उक्त बन्धकित सम्पतियो को विक्रय किया जाना है। प्रार्थी बैंक को बन्धकित सम्पतियो को ऋणी व जमानतदारो से कब्जा लेने के लिये पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अनुसार उक्त वर्णित बन्धकित सम्पत्तियों से सबंधित दस्तावेजात का कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडोदा को दिलवाने जाने हेतु पुलिस इमदाद के आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी ऋणी के वकील श्री नितिन छाबडा ने प्रार्थना पत्र प्रार्थी का विरोध करते हुए बयान किया कि बैंक द्वारा धारा 13(2)सरफेसी एक्ट का नोटिस अप्रार्थी पर तामील नही है तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऋणी द्वारा बैंक में आपत्ति दर्ज करवाई गई थी जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। बैंक द्वारा एक्ट की भावना के अनुकुल दस्तावेज फाईल में पेश नहीं किये गये। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बैंक ऑफ बड़ौदा के वकील व ऋणी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को ऋण राशि का भुगतान समय पर करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी व जमानतदारों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाना पाया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण का भुगतान बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforoement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी व जमानतदार द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रहन शुदा सम्पत्ति संख्या 1. औद्योगिक भूमि साईज 0.885 हैक्टर, जो खाता संख्या 137/127 खसरा नम्बर 96/01, ग्राम धुधली (पल्लू) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में पशुपति रियल ट्रैड प्रा.लि.क. के नाम से दर्ज है। 2. औद्योगिक भूमि साईज 4.805 हैक्टर, जो खाता संख्या 14/49 खसरा नम्बर 147/01, ग्राम धुधली (पल्लू) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में पशुपति रियल ट्रैड प्रा.लि.क. के नाम से दर्ज है। 3. रिहायशी भूखण्ड साईज 520 वर्गमीटर जो चक 18 डी डब्ल्यू डी के पत्थर नम्बर 164/415(23) किला नम्बर 6/0.217, 7/0.127, 14/0.026, 15/0.046 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में श्री गोविन्द राम पुत्र सन्तलाल के नाम से दर्ज है। 4. रिहायशी भूखण्ड साईज 520 वर्गमीटर जो चक 18 डी डब्ल्यू डी के पत्थर नम्बर 164/415(23) किला नम्बर 6/0.217, 7/0.127, 14/0.026, 15/0.046 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में श्री भगवाना राम पुत्र सन्तलाल के नाम से दर्ज है। 5. रिहायशी भूखण्ड साईज 520 वर्गमीटर जो चक 18 डी डब्ल्यू डी के पत्थर नम्बर 164/415(23) किला नम्बर 6/0.217, 7/0.127, 14/0.026, 15/0.046 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में श्री राजकुमार पुत्र सन्तलाल के नाम से दर्ज है। 6. रिहायशी भूखण्ड साईज 520 वर्गमीटर जो चक 18 डी डब्ल्यू डी के पत्थर नम्बर 164/415(23) किला नम्बर 6/0.217, 7/0.127, 14/0.026, 15/0.046 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में अवस्थित है जो अभिलेख में श्री भंवरलाल पुत्र सन्तलाल के नाम से दर्ज है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ बड़ौदा को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ व बैंक ऑफ बड़ौदा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर पर कायम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़